[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना
सं0 22/2017-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, तारीख 3 अक्तूबर, 2017

सा0का0नि0 (अ)- केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 11/2017- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 30 जून, 2017 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड-3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 793(अ) तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,-

(i) क्रम संख्या 2 में,-
   (क) स्तंभ (3) की मद (i) के सामने स्तंभ (4) में प्रविष्टि के स्थान पर "6.48 रूपये प्रति लीटर" प्रतिस्थापित की जाएगी;
   (ख) स्तंभ (3) की मद (ii) के सामने स्तंभ (4) में प्रविष्टि के स्थान पर "7.66 रूपये प्रति लीटर" प्रतिस्थापित की जाएगी;

(ii) क्रम संख्या 3 में,-
   (क) स्तंभ (3) की मद (i) के सामने स्तंभ (4) में प्रविष्टि के स्थान पर "8.33 रूपये प्रति लीटर" प्रतिस्थापित की जाएगी;
   (ख) स्तंभ (3) की मद (ii) के सामने स्तंभ (4) में प्रविष्टि के स्थान पर "10.69 रूपये प्रति लीटर" प्रतिस्थापित की जाएगी ।

2. यह अधिसूचना 4 अक्तूबर, 2017 से प्रभावी होगी ।

[फा.सं. 354/123/2014-टीआरयू (भाग-1)]

(रूचि बिष्ट)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं0 11/2017-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 30 जून, 2017, सा.का.नि. 793(अ), तारीख 30 जून, 2017 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग -।।, खंड -3, उपखंड (i) में, प्रकाशित की गई थी।